न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला– बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकार : श्री लाखाराम, आर.ए.एस.
आवेदन संख्या : 19 / 2022

प्रार्थी

1. गोविन्द पुत्र भुराराम जाति जटिया, निवासी धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गोरधनराम पुत्र भगवानाराम
2. मेघाराम पुत्र गोरधनराम
3. मोहन पुत्र गोरधनराम
4. स्वरूपा पुत्र गोरधनराम
5. अर्जुन पुत्र भगवानाराम जाति विश्नोई
6. सुमित्रा पुत्री रणछाराम जाति जटीया
7. सुन्दर पत्नी रणछाराम
8. श्रवण पुत्र रणछाराम
9. प्रेमचन्द पुत्र रणछाराम
10. प्रकाश पुत्र रणछाराम जातियान जटीया
11. हुकमा पुत्र तेजाराम
12. सदराम पुत्र तेजाराम
13. मगा पुत्र तेजाराम
14. श्रीराम पुत्र आसुराम
15. नारायण पुत्र आसुराम जतियान विश्नोई
16. रमेश पुत्र हीरा जाति मेगवाल
17. गुणेशा पुत्र हीरा
18. फगलु पुत्र हीरा
19. बाबू पुत्र हीरा
20. सोना पुत्र पुनमा जाति मेगवाल निवासी गुणेशाणियों की ढाणी तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
21. तहसीलदार, धोरीमन्ना।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 07/02/2022

अधिवक्तागण :–

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री जगदीश कुमार, अधिवक्ता विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.10 13:34:26 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 15/12/22

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्न[illegible] द्वारा [illegible]क राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 [illegible] निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की खेत ग्राम गुणेशाणियों की [illegible]मन्ना तहसील धोरीम[illegible] खेत खसरा संख्या 799 क्षेत्रफल 5.7222 हैक्टेयर किश्म बारानी सो[illegible] की आयी हुई है। जिस[illegible] का ही कब्जा होने से अकेले ने नेखमबंदी का आवेदन पेश किया है जिसकी चालु जमाबंदी व नक्शा संलग्न पेश है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खसरों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठ तथा सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच में काश्त एवं अन्य प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के

15/12/22
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

सेढ़ों के संबंध में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। प्रार्थी के खेत ग्राम गुणेशाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 799 क्षेत्रफल 5.7222 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में प्रार्थी अनवरत रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे हैं जबकि विप्रार्थीगण हर समय प्रार्थी के सेढ़े को काट कर प्रार्थी के खेत में घुसकर जबरदस्ती काश्त कर लेते हैं विप्रार्थीगण संख्या में अधिक होने से अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रार्थी के खेत में दखलंदाजी करते रहते हैं इस विवाद के कारण प्रार्थी द्वारा अपने खेत का सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य स्थाई सीमा चिह्न नहीं होने से प्रार्थी के द्वारा करवाए गए कच्चे नाप को नहीं मानकर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपस में हर समय झगड़ा होता रहता है इसलिए प्रार्थी के खेत में स्थाई सीमा चिह्न कायम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया परंतु मौके पर विवाद होने के कारण सही नाप व शांति व्यवस्था हेतु हल्का पटवारी द्वारा श्रीमान् जी के समक्ष आवेदन पेश करने का सुझाव दिया प्रार्थी के खेत की सीमाज्ञान मौका फर्द साथ संलग्न पेश है साथ ही प्रार्थी शांत किस्म का होने के कारण हर समय बेवजह विवाद नहीं हो इस हेतु यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी नेखमबंदी संबंधी मौके पर नेखम उपलब्ध करवाने एवं नेखमवंदी फीस अदा करने को तैयार है। तथा तहसीलदार धोरीमन्ना को कमीश्नर नियुक्त करते हुए पुलिस ईमदाद के साथ पक्के नेखम स्थापित किए जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। विवादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम ताजाणियों की ढाणी पटवार हल्का लोहारवा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमानजी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकर्र न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– का साथ पेश है। अतः श्रीमानजी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम गुणेशाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा सं. 799 क्षेत्रफल 5.7222 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की पक्की नेखमबंदी करवाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में सहखातेदार सवाराम पुत्र रूपाराम को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश करने पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर सहखातेदार सवाराम को बतौर अप्रार्थी सं. 22 संयोजित किया जाकर संशोधित शीर्षक को रेकर्ड पर लिया गया। अप्रार्थी सं. 22 की ओर से अधिवक्ता जगदीश कुमार द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा पत्रावली पर जवाब पेश नहीं करने का कथन प्लीड करने पर इनके जवाब को बंद किया गया।

हमने बहस वकुलाय गहनतापूर्वक सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि राजस्व मौजा गुणेशाणियों की ढाणी पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खसरा सं. 799 रकबा 5.7222 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का प्रार्थी 2/3 हिस्से का खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा अप्रार्थी सं. 22 उक्त आराजी के 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज है। हमने प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible] का अध्ययन किया, उक्त के अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश [illegible]अ./2021/1321 दिनांक 31.12.2021 की पालना में पटवारी हल्का धोरीमन्ना द्वारा दिनांक [illegible].2022 को उक्त खसरा सं. 799 रकबा 5.7222 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का सीमाज्ञान का प्रयास किया लेकिन उक्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर पड़ौसी खातेदारान के मध्य सेढ़ों को लेकर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका। उक्त विवेचन के आलोक में हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खसरा सं. 799 रकबा 5.7222 हैक्टेयर की हद तक स्वीकार करना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.10 13:34:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना

15/12/22
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रार्थी की सहखातेदारी आराजी राजस्व मौजा–गुणेशाणियों की ढाणी, पटवार हल्का–धोरीमन्ना, तहसील–धोरीमन्ना के खसरा सं. 799 रकबा 5.7222 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा सं. 799 रकबा 5.7222 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

15/12/22

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 15/12/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

15/12/22

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.10 13:34:26 IST
Reason: SelfAttested